वादी अनुपस्थित। वादी की ओर से कोई अधिवक्ता भी उपस्थित नहीं।

वादी एवं उसके अधिवक्ता की न्यायालय कक्ष के बाहर बार—बार पुकार लगवाई गई परंतु कोई उपस्थित नहीं हुआ।

प्रतिवादी क01 द्वारा अधिवक्ता श्री के०के०शुक्ला उपस्थित।

प्रतिवादी क02 पूर्व से एक पक्षीय। आज दिनांक को वादी अनुपस्थित है। वादी की ओर से उसके पक्ष समर्थन हेतु कोई अधिवक्ता भी उपस्थित नहीं हैं। वादी एवं उसके अधिवक्ता की न्यायालय

परिसर से बाहर बार पुकार लगवाई गई परंतु कोई उपस्थित नहीं हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि वादी उक्त वाद को आगे नहीं चलाना चाहता है। अतः प्रस्तुत वाद वादी की अनुपस्थिति में आदेश 9 नियम 8 सी पी सी के अंतर्गत खारिज किया जाता है।

प्रकरण में व्यय तालिका बनाई जावे। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर प्रकरण अभिलेखागार भेजा जावे।

> सही / – कु. प्रतिष्ठा अवस्थी अति. व्यवहार न्यायाधीश वर्ग 1 गोहद जिला भिण्ड, म०प्र०